संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)
www.ayush.mp.gov.in
E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in
Office(0755) 2577762
Fax - (0755) 2760225

क्रमॉक/10/आयुष मिशन/23/F.No-82/2827-2890 भोपाल, दिनांक 19/04/2023

::आदेश::

भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत स्थापित हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में आयुष कम्यूनिटी हैल्थ ऑफीसर (CHO) यूनानी के पदों पर संविदा सेवाएं देने हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रतीक्षा सूची से चयन उपरांत आदेश दिनांक से 31 दिसम्बर 2023 तक संविदा सेवा देने हेतु संलग्न शर्तो के अधीन निम्नानुसार चयनित सी.एच.ओ. को संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। सभी चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में आवंटित जिले के जिला आयुष अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

क्र	आवेदन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	चयनित वर्ग	आवंटित जिला	आवंटित एच.डब्ल्यू.सी
1.	AY005220000882	ABRAR MOHD KHAN	MUNEER MOHD KHAN	M	UR/X/OP	रायसेन	शास.यूनानी औष . दिवानगंज
2.	AY005220003913	MUBASHRA KHAN	NISAR KHAN	F	OBC/X/F	रायसेन	शास.यूनानी औष . नूरगंज

उक्त चयनित अभ्यर्थियों की संविदा नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :-

1. संविदा नियुक्ति की अवधि 31 दिसम्बर 2023 तक होगी चयनित संविदा CHO को कार्य अवधि के दौरान भारत सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत मध्यप्रदेश के CHO के लिए निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा। स्वीकृत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ता देय नहीं होगें ।
2. संविदा CHO मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करेगा एवं "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी संविदा सेवक (नियुक्ति तथा सेवा शर्ते) नियम, 2018" के लागू होगें तथा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यदि चयनित उम्मीदवार दायित्वों का सक्रिय रूप से निर्वहन नहीं करता है तो इसे कदाचार माना जावेगा। किसी कदाचार पर या उसकी किसी अपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्गत होने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसकी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा/सकेगी।
3. CHO के लिये निर्धारित दायित्वों का निर्वहन CHO द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा, निर्वहन न करने की स्थिति में ये संविदा शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को CHO के पद पर सेवाएं देने हेतु जिला आयुष अधिकारी के साथ रुपये 500 के नॉनजुडिशल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में संविदा अनुबंध निष्पादित करना होगा।
5. संविदा CHO 01 वर्ष में अधिकतम 15 आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा वह एक समय में अधिकतम 03 दिवस के अवकाश का उपयोग कर सकेगा/ सकेगी एवं 15 दिवस के चिकित्सकीय अवकाश का हकदार होगा। तथापि 03 दिवस से अधिक चिकित्सकीय अवकाश हेतु विहित प्रपत्र में राजपत्रित चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण अपेक्षित होगा। 07 दिवस से अधिक चिकित्सकीय अवकाश हेतु संविदा CHO को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ जिला आयुष अधिकारी में निहित होंगी।

2...

6. संविदा महिला CHO जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम 180 दिवस के कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी, पुरूष संविदा सेवक 15 दिवस के पितृत्व अवकाश के पात्रता होगी। यह अवकाश आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा पितृत्व अवकाश केवल 02 जीवित संतानों तक देय होगा। उक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति जिला आयुष अधिकारी में निहित होंगी।
7. संविदा CHO शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
8. संविदा नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा राशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकेगी। यदि संविदा अधिकारी बिना विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 1 माह से अधिक अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी नियुक्ति अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. नियुक्ति पूर्व सम्बंधित अधिकारी को सत्यापित दस्तावेज जमा कराना होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा एवं सेवायें देने योग्य नहीं माना जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
10. नियुक्ति पूर्व चयनित अभ्यार्थी का जीवित/अद्यतन पंजीयन मध्यप्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
11. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01/01/2022 की स्थिति में अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन के नियमानुसार होगी। आयु सीमा की गणना करते समय हाई स्कूल प्रमाण पत्र (10 वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्म तिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा।
12. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत CHO के पद पर चयन होने पर संविदा सेवाये देने के पूर्व अन्य सेवा संविदा या नियमित में कार्यरत उम्मीदवारों को पूर्व कार्यरत पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा तथा पूर्व संस्था का कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा CHO स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सकीय परीक्षण करवायेगा, इस चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।
14. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को चरित्र अनुप्रमाणन फार्म निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
15. संविदा CHO के लिए पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यार्थी द्वारा उक्त सभी वर्णित शर्तो को मान्य करते हुए अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देगा।
16. उपरोक्त नियुक्तियाँ जारी विज्ञापन के आधार पर की जा रही है।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
आयुक्त
संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

क्रमॉक / 10 / आयुष मिशन / 23/F.No-82/2827-90 भोपाल, दिनांक 19 / 04 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निंज सचिव, आयुक्त आयुष, स्थानीय संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुष अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. जिला आयुष अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. शाखा प्रभारी आयुष मिशन संचालनालय आयुष ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश